



तारीख हुक्म

कार्यवाही मय द्वितीययत्स जज

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 233/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर. एक्ट  
(GCMS No. 2014/00050)

को व मासिक कर  
को व मासिक कर  
मासिक से जारी है

अनवान:

1.3.2023

1. उत्तम सिंह पुत्र लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. चन्द सिंह पुत्र लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरुदयाल सिंह उर्फ दयाल सिंह पुत्र लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. दीपों पत्नी हरनाम सिंह पुत्र लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. परमजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरजट सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कातीबाई पुत्री हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. पम्मी बाई पुत्री हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. छिन्दो बाई पुत्री हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. राधेश्याम पुत्र हरनाम सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।


.....अपीलांट्स

**बनाम**


1. प्यारों पुत्री लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कमलेश पुत्री लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. तारो पुत्री लटकन सिंह निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत कौनी 5 पी. बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.....रेस्पोंडेंट्स

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री नायब सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट्स लोक अदालत की भावना से अपीलांट अब अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं अपील अपीलांट विद्धों करना चाहते हैं।



हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.12.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्वा करना चाहते हैं। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 श्री सुरेश मोहता ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की। अतः यह अपील अपीलांट जरिये विद्वावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(डॉ. नीरज के. पवन)  
सभागीय आयुक्त,  
बीकानेर